5409(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत बगहा–त्रिवेणी पथ के 5 (पाँच) अद्द अंडरपास निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–812अनु०, दिनांक 26.02.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत बगहा– त्रिवेणी पथ के 5 (पाँच) अद्द अंडरपास निर्माण कार्य वर्ष 2017–18
2.2	एकरारनामा संख्या	: 28/SBD/2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹7,14,54,195.00 लाख।
2.4	संवेदक का नाम	JAYAPATI DEVI, SITAMARHI.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	: 27.11.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	: कार्य प्रगति में (80% कार्य पूर्ण)।
2.7	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	: 30.04.2019

15.7.19

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(1) वन विभाग के शर्तों के अधीन कार्य के कारण विलंब– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित योजना का कार्यान्वयन वाल्मिकि व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र बगहा– त्रिवेणी पथ पर किया जाना था। उक्त कार्य स्थल व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र होने के कारण कार्य हेतु आवश्यक अनुमति वन विभाग से प्राप्त किया जाना था। एकरारनामा के पश्चात वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक के पत्रांक–1826, दिनांक 04.12.2017 द्वारा विषयांकित कार्य को आरक्षित क्षेत्र में करने हेतु विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त शर्तों में कुछ शर्तों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई थी, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

(i) एक बार में एक ही अण्डरपास निर्माण का शर्त– वन विभाग द्वारा यह शर्त लगाया गया था कि एक बार में एक ही अंडरपास के निर्माण किया जायेगा, जिसके कारण एकरारनामा से काफी अधिक समय व्यतीत हो गया।

(ii) निर्माण सामग्री का भंडारण कार्य स्थल से बाहर रखने का शर्त– निर्माण सामग्री का भंडारण वन विभाग के शर्त के अधीन लगभग 10 कि०मी० दुर किए जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही।

उपरोक्त के आलोक में संवेदक द्वारा 156 दिनों के अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(iii) अकार्यवधि (वर्षा ऋतु) के कारण विलंब– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि वर्षा ऋतु में दिनांक 15.06.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक कार्य स्थल पर पानी जमा रहने के कारण कार्य वाधित रहा। जिसके कारण संवेदक द्वारा 110 दिनों का अनुरोध किया गया, परन्तु Concurrent अवधि होने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा शून्य दिनों की अनुशंसा की गई है।

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 155 दिनों अर्थात् दिनांक 30.04.2019 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा के आलोक में सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.04.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u> :

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–812अनु०, दिनांक 26.02.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत बगहा– त्रिवेणी पथ के 5 (पाँच) अद्द अंडरपास निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 (एकरारनामा सं0–**28/SBD/2017-18**) हेतु दिनांक 30.04.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

15/07/19	15.7.19		15.7.19
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) अपर सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(भवानी नंदन) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध(स०वि०)–04–113 / 2019– 5409(E) पटना, दिनांक– 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल मोतिहारी / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।